भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या – 449**

*सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को उत्तर दिए जाने के लिए*

## पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

449. श्री अजय कुमार मंडल
श्री रमेश चन्द्र कौशिक
श्रीमती लॉकेट चटर्जी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए कोई नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा सहित राज्यों को अब तक प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण/सहायता का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए उठाए गए अथवा उठाए जा रहे अतिरिक्त कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) और (ख): जी, हां। 'पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम' की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई थी और इसे 2021-22 में जारी रखा गया था। इसके पश्चात्, इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 'पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम' के रूप में लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल, बिहार तथा हरियाणा राज्यों सहित राज्यों को इस स्कीम के तहत उपलब्ध करवाई गई विशेष सहायता (ऋण) का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): 'पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2023-24' का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, स्कीम के दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कीम के भाग-I (शर्तरहित) के तहत 2023-24 के लिए दूसरी किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अपने संसाधनों से पूंजीगत व्यय हासिल करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

*****

**05 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 449 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई विशेष सहायता (ऋण)**

**(करोड़ रु. में)**

| क्र.सं. | राज्य | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (01.02.2024 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 688.00 | 501.79 | 6105.56 | 0.00* |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 232.97 | 371.19 | 1564.10 | 1090.54 |
| 3 | असम | 450.00 | 600.00 | 4300.14 | 4530.61 |
| 4 | बिहार | 843.00 | 1246.50 | 8455.85 | 6135.54 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 286.00 | 423.00 | 2941.97 | 2044.78 |
| 6 | गोवा | 97.66 | 111.04 | 572.75 | 371.29 |
| 7 | गुजरात | 285.00 | 432.00 | 4045.82 | 2542.62 |
| 8 | हरियाणा | 91.00 | 135.00 | 1267.00 | 858.75 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 533.00 | 800.00 | 650.80 | 644.36 |
| 10 | झारखंड | 277.00 | 246.00 | 2964.32 | 1693.19 |
| 11 | कर्नाटक | 305.00 | 451.50 | 3399.35 | 2538.04 |
| 12 | केरल | 81.50 | 238.50 | 1902.74 | 0.00* |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1320.00 | 1512.36 | 7360.20 | 5437.10 |
| 14 | महाराष्ट्र | 514.00 | 771.73 | 6744.16 | 3681.71 |
| 15 | मणिपुर | 317.16 | 212.85 | 467.22 | 365.20 |
| 16 | मेघालय | 200.00 | 281.20 | 1049.02 | 772.72 |
| 17 | मिजोरम | 200.00 | 299.99 | 297.50 | 491.05 |
| 18 | नागालैंड | 200.00 | 300.00 | 504.16 | 475.55 |
| 19 | ओडिशा | 471.50 | 517.12 | 75.00 | 3218.68 |
| 20 | पंजाब | 296.50 | 223.50 | 798.22 | 0.00* |
| 21 | राजस्थान | 1002.00 | 692.41 | 5595.64 | 5924.11 |
| 22 | सिक्किम | 200.00 | 300.00 | 551.36 | 575.47 |
| 23 | तमिलनाडु | 0.00 | 505.50 | 4011.27 | 3062.88 |
| 24 | तेलंगाना | 358.00 | 214.14 | 2500.98 | 1341.20 |
| 25 | त्रिपुरा | 300.00 | 118.54 | 349.79 | 368.72 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 976.00 | 1483.00 | 7940.50 | 12779.75 |
| 27 | उत्तराखंड | 675.00 | 263.92 | 1124.01 | 785.78 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 630.00 | 933.00 | 3655.92 | 5015.58 |
| **कुल** | | **11830.29** | **14185.78** | **81195.35** | **66745.21** |

*: निधियाँ, भाग-I के तहत राज्यों की गैर-पात्रता तथा अन्य भागों के मामले में, वित्त वर्ष 2022-23 में उच्च अव्ययित बचत के कारण जारी नहीं की जा सकीं।

*****